"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2014— पौष 11, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 90 एवं 91 के अधीन राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करती है.

No. F-4-137/Seven-1/2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, confers the powers of settlement officer under Section 90 and 91of the said Code to Collector of all districts of the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.